भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *182

01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अस्पतालों/स्वास्थ्य केंद्रों में (संस्थागत) प्रसव

***182. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डीः**

श्रीमती डी. के. अरुणाः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जब से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) शुरू हुआ है, देश में अस्पतालों/स्वास्थ्य केंद्रों में (संस्थागत) प्रसवों में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने गर्भवती महिलाओं को ग्रामीण/वन क्षेत्रों और सुदूर द्वीपों से बच्चे के जन्म/प्रसव के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र तक पहुंचने में आ रही कठिनाइयों पर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो विगत छः वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों की सूचना मिली है और क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं तथा उनके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान आज तक उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना सहित राज्य-वार इस कार्य हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और उपयोग में लाई गई?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

01 अगस्त, 2025 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 182 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): एनएचएम के अंतर्गत, संस्थागत प्रसव एनएफएचएस-3 (2005-06) के 38.7% से बढ़कर एनएफएचएस-5 (2019-21) में 88.6% हो गया है। कार्यक्रमगत कार्यकलापों, जिनसे देश में संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई, में निम्नलिखित योजनाएँ शामिल हैं:

- **जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक सुरक्षित मातृत्व कार्यकलाप है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो प्रसव और प्रसवोत्तर परिचर्या के साथ नकद सहायता को भी एकीकृत करती है।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)** जिसके अंतर्गत जन स्वास्थ्य संस्थानों में प्रत्येक गर्भवती महिला और बीमार शिशु को सिजेरियन सहित निःशुल्क प्रसव और इलाज की सुविधा है। साथ ही निःशुल्क परिवहन, निदान, दवाइयाँ, रक्त, अन्य उपभोग्य वस्तुएँ और आहार की सुविधा भी उपलब्ध है।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)** गर्भवती महिलाओं को एक निश्चित दिन, हर महीने की 9 तारीख को एक विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा निःशुल्क, सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जाँच सेवा प्रदान की जाती है। विस्तारित पीएमएसएमए (ई-पीएमएसएमए) गर्भवती महिला संबंधी व्यक्तिगत उच्च जोखिम गर्भावस्था (एचआरपी) ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है।
- **लक्ष्य (लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव)** लेबर रूम और प्रसूति ऑपरेशन थिएटर में परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान और प्रसव के तुरंत बाद सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण परिचर्या मिले।
- **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन)** मातृ एवं नवजात मृत्यु की रोकथाम पर विशेष बल देते हुए जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्र तक आने वाली प्रत्येक महिला और नवजात शिशु को आश्वासित, सम्मानजनक, आदरपूर्ण और नि:शुल्क गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान करता है।
- **प्रसवोत्तर परिचर्या का समन्वय,** माताओं में खतरे के संकेतों का पता लगाने और ऐसी उच्च जोखिम वाली प्रसवोत्तर माताओं का शीघ्र पता लगाने, रेफरल और उपचार के लिए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को प्रोत्साहित करने संबंधी ज़ोर देकर प्रसवोत्तर परिचर्या की गुणवत्ता को सुदृढ़ करता है।
- गर्भवती महिलाओं के लिए परिचर्या की गुणवत्ता तक पहुँच में सुधार के लिए जनशक्ति, रक्त भंडारण इकाइयों, रेफरल लिंकेज सुनिश्चित करके **प्रथम रेफरल इकाइयों (एफआरयू)** का प्रचालन।

- माताओं और बच्चों को प्रदान की जाने वाली परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार हेतु उच्च केसलोड सुविधा केंद्रों पर **मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच)** विंग की स्थापना।
- जटिल गर्भावस्था से निपटने के लिए देश भर में उच्च केसलोड वाले विशिष्ट परिचर्या सुविधा केंद्रों में प्रसूति उच्च निर्भरता इकाइयों और गहन चिकित्सा इकाइयों (प्रसूति एचडीयू और आईसीयू) का संचालन।
- संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों तक पहुँच में सुधार के लिए दुर्गम और आदिवासी क्षेत्रों में जन्म प्रतीक्षालय (बीडब्ल्यूएच) स्थापित किए गए हैं।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान और पोषण सहित मातृ एवं शिशु परिचर्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए **ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी)** मनाए जाते हैं।
- विशेष रूप से आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की पहुँच में सुधार के लिए **आउटरीच शिविरों** का प्रावधान किया जाता है। इस मंच का उपयोग मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने, सामुदायिक लामबंदी के साथ-साथ उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की निगरानी रखने के लिए किया जाता है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)** के अंतर्गत, संस्थागत प्रसव के बाद, पहले बच्चे और दूसरे बच्चे (दूसरी संतान लड़की होने पर) के लिए पात्र लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में सीधे नकद प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग): संस्थागत प्रसव को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- **राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा:** एनएचएम के अंतर्गत राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा (एनएएस) दो प्रकार की एम्बुलेंस सेवाएँ 108 (एएलएस/बीएलएस) और 102 (रोगी परिवहन वाहन- पीटीवी) प्रदान करती है: डायल 108 एक आपातकालीन अनुक्रिया प्रणाली है, जिसे मुख्य रूप से गंभीर विकारों से ग्रस्त रोगियों, आघात और दुर्घटना पीड़ितों आदि की परिचर्या के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि डायल 102 सेवाएँ गर्भवती महिलाओं, माताओं, नवजात शिशुओं और बच्चों को स्वास्थ्य केंद्रों तक आवागमन के लिए बुनियादी परिवहन सेवा प्रदान करती हैं।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दुर्गम क्षेत्रों में, पहुँच और कवरेज बढ़ाने के लिए, बाइक और बोट एम्बुलेंस जहाँ लागू हो, जैसे नवीन साधन तैनात किए जाते हैं।
- **मोबाइल मेडिकल यूनिट:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, भारत सरकार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता

प्रदान करती है। सबसे दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के गृह तक सेवाएँ प्रदान करने के लिए, राज्यों को मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) की भी सहायता प्रदान की जाती है।

- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)** जन स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क और बिना व्यय के प्रसव का अधिकार देता है, जिसमें घर से स्वास्थ्य केंद्रों तक अंतर-सुविधा केंद्र और स्वास्थ्य केंद्रों से घर तक निःशुल्क परिवहन शामिल है। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र आवश्यकतानुसार, जेएसएसके के अंतर्गत जनजातीय, ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में पालकी, नाव और एयर एम्बुलेंस जैसे परिवहन के वैकल्पिक साधन भी उपलब्ध कराते हैं। घर से स्वास्थ्य केंद्रों तक निःशुल्क परिवहन, अंतर-सुविधा केंद्र स्थानांतरण और घर तक वापसी हेतु जेएसएसके सेवाओं का लाभ उठाने वाली गर्भवती महिलाओं का विवरण **अनुलग्नक-I** में है।

(घ): पिछले छह वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना सहित राज्यवार व्यय का विवरण **अनुलग्नक-II** में है।

दिनांक 01 अगस्त, 2025 के लिए लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 182 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

गर्भवती महिलाएं जिन्होंने निःशुल्क घर से सुविधा केंद्र तक परिवहन, अंतर-सुविधा केंद्र स्थानांतरण और घर तक वापस छोड़ने के लिए जेएसएसके सेवाओं का लाभ उठाया का विवरण						
वित्त वर्ष	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25 (अनंतिम)**
जेएसएसके के तहत घर से सुविधा केंद्र तक निःशुल्क परिवहन सुविधा प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या -	49,26,653	54,42,079	58,08,138	65,14,137	45,95,707	50,98,464
जेएसएसके के तहत आवश्यकता पड़ने पर अंतर-सुविधा केंद्र स्थानान्तरण प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या -	9,43,400	11,77,852	11,74,753	12,25,238	11,61,737	14,00,978
जेएसएसके के तहत निःशुल्क घर तक वापसी सेवा प्राप्त गर्भवती महिलाओं की संख्या	49,49,666	53,46,898	58,73,543	65,72,141	51,27,058	55,59,334

दिनांक 01 अगस्त, 2025 के लिए लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 182 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-II

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 तक एनएचएम के अंतर्गत रेफरल परिवहन पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार व्यय (लाख रुपये में)							
क्र.सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	2,023.97	9,468.01	9,295.20	3,470.32	4,021.36	950.88
3	अरुणाचल प्रदेश	85.69	427.16	1,075.50	1,956.90	2,189.98	2,898.91
4	असम	3,819.91	4,976.62	10,524.18	10,847.05	12,817.01	13,573.89
5	बिहार	1,625.99	5,009.52	7,506.29	8,831.67	15,224.08	14,903.50
6	चंडीगढ़	72.00	0.00	0.00	100.80	133.60	198.30
7	छत्तीसगढ	8,280.29	9,700.25	11,472.46	8,695.28	12,122.61	11,471.47
8	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.85	0.26	0.00	0.00
	दमन और दीव	0.52					
9	दिल्ली	299.74	0.00	0.00	1,725.63	1,463.80	0.00
10	गोवा	180.00	505.86	545.40	445.18	452.00	489.77
11	गुजरात	3,697.08	6,264.00	3,200.00	7,207.00	13,083.00	13,371.61
12	हरियाणा	4,747.14	1,082.17	4,367.78	5,504.87	6,418.70	5,953.21
13	हिमाचल प्रदेश	2,025.88	3,229.80	3,342.60	2,847.77	2,808.49	1,566.35
14	जम्मू एवं कश्मीर	15.00	2,181.83	2,111.31	3,520.04	3,551.13	4,406.11
15	झारखंड	7,826.82	3,568.92	3,698.35	2,942.81	5,793.03	4,801.25
16	कर्नाटक	3,847.86	2,596.86	5,097.72	4,336.20	6,375.49	5,782.97
17	केरल	0.00	4,544.24	4,571.81	4,091.38	3,419.70	1,400.00
18	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	मध्य प्रदेश	15,206.43	9,248.86	8,712.29	22,338.33	37,840.44	39,329.06
20	महाराष्ट्र	2,532.02	117.24	86.31	0.00	193.34	0.00

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 तक एनएचएम के अंतर्गत रेफरल परिवहन पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार व्यय (लाख रुपये में)							
21	मणिपुर	78.61	121.30	34.99	57.98	28.10	37.96
22	मेघालय	39.53	148.34	179.28	641.35	0.08	0.67
23	मिजोरम	14.91	21.96	11.06	6.61	8.36	126.48
24	नागालैंड	65.96	41.65	34.92	104.38	21.87	54.16
25	ओडिशा	7,407.07	7,264.67	9,369.31	10,291.57	11,531.46	9,331.87
26	पुदुचेरी	32.44	32.77	45.34	48.42	28.01	23.06
27	पंजाब	1,307.58	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
28	राजस्थान	2,350.20	7,435.29	7,497.11	13,509.28	18,505.00	23,706.58
29	सिक्किम	174.96	117.94	436.16	204.15	168.89	141.19
30	तमिलनाडु	4,632.88	3.82	6,710.98	5,796.09	5,222.92	5,880.00
31	तेलंगाना	758.00	2,889.61	3,945.30	7,297.20	8,105.17	9,967.43
32	त्रिपुरा	1.64	895.96	955.14	1,023.80	1,185.97	1,188.16
33	उत्तर प्रदेश	60,361.31	44,244.73	47,817.75	85,625.43	1,01,245.56	82,533.07
34	उत्तराखंड	1,556.11	1,920.73	3,827.29	4,072.35	2,934.11	5,022.42
35	पश्चिम बंगाल	7,838.04	8,828.79	11,992.15	13,794.39	15,507.34	15,293.48
36	लद्दाख	0.00	0.00	98.75	217.42	519.37	432.52

नोट:

(1) उपरोक्त आंकड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार हैं तथा अनंतिम हैं।

(2) व्यय में केन्द्रीय निर्गमन, राज्य निर्गमन और वर्ष के आरंभ में अव्ययित शेष निधि शामिल है।

****